

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

४ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ४  
शुक्रवार, ७ अक्टूबर, १९९४/१५ आधिवन, १९१६४३०

संख्या. 134

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, मध्य जिला दिल्ली को सम्बोधित दिनांक ६. १०. १९९४ का निम्नलिखित पत्र दिनांक ६ अक्टूबर, १९९४ को प्राप्त हुआ था :-

"मुझे आपको यह सूचित करने का सम्मान मिला है कि सर्वश्री श्रेवा राम आर्य, पुरन चन्द योगी, इन्द्र राज सिंह, मुरारी सिंह पंवार, आलोक कुमार, मोती लाल सोढ़ी, राम पाल, ओ.पी.बब्बर, नन्द किशोर गर्ण, सत प्रकाश राणा, विधायकों को बहादुर शाह जफ़र मार्ग से पुलिस अधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहने के लिये दिनांक ६. १०. १९९४ को अपराह्न १२. ५५ बजे नज़रबन्द किया गया था। तो दिनांक ६. १०. १९९४ को अपराह्न १. ३० बजे रिहा कर दिये गये।

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to legislative & other matters)  
Friday, October 7, 1994/Ashwina 15, 1916 (Saka)

No.134

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 6.10.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, Central District, Delhi was received on 6th October, 1994 :-

"I have the honour to inform you that S/Shri Mewa Ram Arya, Puran Chand Yogi, Inder Raj Singh, Murari Singh Panwar, Alok Kumar, Moti Lal Sodhi, Ram Pal, O.P. Babber, Nand Kishore Garg, Sat Prakash Rana, MLAs who were detained on 6.10.1994 at 1255 hours for failure to comply with the directions given to them by a Police Officer from Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi were released on 6.10.1994 at 1.30 P.M."

P.N. GUPTA  
SECRETARY